JBM Group
Our milestones are touchstones

JAY BHARAT MARUTI LIMITED
Corporate Office : ° Plot No. 9, Institutional Area,
Sector 44, Gurgaon-122 003 (Hr.)
T : +91 124 4674500, 4674550
F : +91 124 4674599
W : www.jbmgroup.com

Ref. No. JBML/SE/Q1/21-22

Date: 10th May, 2021

BSE Limited
Phiroz Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai – 400001

Scrip Code: 520066

The National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C/1, G- Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400051.

Scrip Code: JAYBARMARU

Sub: Submission of Newspapers Advertisement under Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 regarding Extra Ordinary General Meeting Notice dated 8th May, 2021.

Dear Sir,

Pursuant to the provision of Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, we are enclosing herewith, copies of the newspaper advertisements published in Business Standard (Hindi) in Delhi edition and Business Standard (English) in Delhi edition dated 10TH May, 2021, regarding electronic dispatch of Notice of Extra Ordinary General Meeting(EGM) and e-voting instructions for the EGM scheduled to be held on 31st May, 2021 through VC/OAVM.

This is for your information and submission please.

Thanking you,

Yours faithfully

For Jay Bharat Maruti Limited

RAVI ARORA
Digitally signed by RAVI ARORA
Date: 2021.05.10 18:40:10 +05'30'

(Ravi Arora)

Company Secretary

Encl.: As above.

NEW DELHI | MONDAY, 10 MAY 2021 Business Standard

GST exemption on vaccines will lead to high prices: FM

Statement follows Mamata's letter to PM seeking GST exemption

DILASHA SETH
New Delhi, 9 May

The finance minister's statement in a series of tweets followed West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's letter to Prime Minister Narendra Modi urging exempting key drugs and vaccines from GST and other duties to help remove supply constraints and contribute towards effective management of the pandemic.

Sitharaman said doing away with the 5 per cent GST on vaccines and 12 per cent GST on medicines would deny manufacturers input tax credit (ITC), who would then pass that as the cost to the end consumers or citizens by increasing the price.

Demands to exempt Covid-19 vaccines and related medicines from GST are growing as the country is fighting the second wave of the pandemic. Several states, including West Bengal, Chhattisgarh, and Punjab, have pitched for the exemption. Former chief economic adviser to the Centre, Arvind Subramanian, has also pressed for suspension of GST and import duties on all goods and services — domestic and imports — related to Covid-19.

"If full exemption from GST is given, the domestic producers of these items would be unable to offset taxes paid on their inputs and input services and would pass these on to the end consumers by increasing their price," said Sitharaman in a tweet on Wednesday. She said a 5 per cent GST rate ensures that the manufacturer can utilise ITC, and in case of overflow of ITC, claim a refund. Hence, the exemption to the vaccine from GST would be counterproductive without benefiting the consumer.

Banerjee pointed out in the letter that a large number of organisations, individuals, and benevolent agencies that have come forward to donate oxygen concentrators, cylinders, containers, and Covid-related drugs have approached the state to consider exemption of these from Customs duty, state goods & services tax, central goods and services tax, and integrated goods and services tax (IGST).

Sitharaman said the Centre had already granted exemption from IGST for imports on May 3. "These were given exemption from Customs Duty/health cess even earlier," she tweeted.

The FM said full exemption from Customs duties, including IGST, was already available to all Covid relief material imported by the International Committee of the Red Cross for distribution in the country. "With effect from May 3, full exemption from all duties has been provided to (antiviral drug) remdesivir injections, remdesivir API, and for a chemical for the manufacture of this drug," the minister tweeted.

"Also to medical oxygen, equipment used for the manufacture, storage and transportation of oxygen, equipment used for providing oxygen therapy to Covid patients such as oxygen concentrators, ventilators, non-invasive oxygen masks etc."

Sitharaman said Covid-19 vaccines were being given for free to those who are 45 and above.

"IF FULL EXEMPTION FROM GST IS GIVEN, THE DOMESTIC PRODUCERS OF THESE ITEMS WOULD BE UNABLE TO OFFSET TAXES PAID ON THEIR INPUTS AND INPUT SERVICES AND WOULD PASS THESE ON TO THE END CONSUMERS BY INCREASING THEIR PRICE"

"ON GOVERNMENT SUPPLIES, GST IS PAID BY THE GOVERNMENT... FROM THE GST COLLECTED ON VACCINE, HALF IS EARNED BY THE CENTRE AND THE OTHER HALF BY THE STATES. FURTHER, 41% OF CENTRE'S COLLECTIONS ALSO GET DEVOLVED TO THE STATES. SO, STATES END UP RECEIVING ALMOST 70% OF THE TOTAL REVENUE COLLECTED FROM VACCINES"

Nirmala Sitharaman
Union Finance Minister

20 STATES' DEATH RATE LOWER THAN NATIONAL AVG

A total of 403,738 new cases and over 4,000 deaths were registered in a single day as of Sunday morning. Almost 75 per cent of new deaths were in ten states. While Maharashtra saw the maximum casualties at 864, followed by Karnataka (482) and Delhi (332).

Deaths per million were higher than the national average of 176 in 16 states and highest in Delhi, which has reported 1,019 deaths per million, the health ministry data showed.

Amid reports of underreporting of deaths from some parts of the country, 20 states are reporting per million-deaths much below the national average. Andhra Pradesh has 160 deaths per million, while Gujarat 130. The number is way lower for Uttar Pradesh (64), Rajasthan (68), and Bihar (26). More than 80 per cent of the active cases too are in 13 states with Maharashtra, Karnataka, Kerala, and Uttar Pradesh leading the tally. The daily positivity rate in the country is around 21.6 per cent which is a matter of grave concern as the number of tests have remained stagnant at around 1.5 to 1.8 million for most of last week. RUCHIKA CHITRAVANSHI

8 STATES REPORTING MORE DEATHS PER MILLION THAN THE NATIONAL AVERAGE

Naional average	176
Delhi	1,019
Goa	1,016
Puducherry	664
Maharashtra	611
Ladakh	529
Chandigarh	482
Chhattisgarh	353
Punjab	342

POSITIVITY TREND THIS MONTH

	Test conducted (mn)	Positivity (%)
May 1	1.9	20.66
May 2	1.8	21.75
May 3	1.5	24.47
May 4	1.66	21.47
May 5	1.5	24.8
May 6	1.9	21.44
May 7	1.82	22.68
May 8	1.8	22.18
May 9	1.86	21.64

75% OF NEW DEATHS IN 10 STATES

Maharashtra	864
Karnataka	482
Delhi	332
Uttar Pradesh	297
Tamil Nadu	241

72% OF NEW CASES IN 10 STATES

Maharashtra	56,578
Karnataka	47,563
Kerala	41,971
Tamil Nadu	27,397
Uttar Pradesh	26,636

Source: Health Ministry

Stricter lockdown in Delhi; Metro services suspended till May 17

As the national capital enters into an extended period of lockdown to curb the spread of coronavirus, the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) Sunday said its services will remain suspended till 5 am on May 17. The DMRC statement came after the city government extended the ongoing lockdown for another week. PTI

Delhi gets 499 mt oxygen against 700 mt, alleges AAP

Delhi received just 499 metric tonnes (mt) of oxygen on May 8 against the average supply of 700 mt ordered by the Supreme Court, AAP MLA Raghav Chadha said on Sunday. Over the last week, the city got an average of 533 mt oxygen daily, which is 76 per cent of the quantity directed by the SC. PTI

Showing PAN-Aadhaar for Covid treatment not practical: Experts

SHRIMI CHOUDHARY
New Delhi, 9 May

The income tax (I-T) department's condition of furnishing permanent account number (PAN) or Aadhaar number of both the patient and payee for making cash payments for Covid treatment has drawn flak from experts.

According to them, it would have been more effective if the exemption (in cash payment) had been given without any caveats and for a longer period.

On Friday, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) had said that hospitals, nursing homes, Covid care centres, or similar medical facilities providing treatment for coronavirus can accept cash payment of ₹2 lakh or more till May 31. This can be done only after receiving valid identity proof such as PAN card or Aadhaar of the patient and by informing about the relationship between the patient and the payee.

At present, the I-T Act restricts any person from receiving an amount of ₹2 lakh or more in cash, from a person in a day, in respect to a single transaction or in respect to transactions relating to one event or occasion from a person. In case of violation, it attracts 100 per cent penalty on the amount taken in cash.

The tax department is of the opinion that the exemption would help patients get timely treatment and also encourage transparent billing by hospitals in case of cash receipt. Tax experts, however, feel that such caveats may discourage people from helping critical patients out of fear of getting scrutinised later by the tax department.

The circular allows people to pay hospital bills in cash but they may have to explain the source, if income later doesn't match with the returns of the payer. Also, it may create confusion as there could be cases where not one but many relatives will be contributing for the treatment of one patient. Besides, the circular did not clarify about foreign donations.

Sanjay Sanghvi, direct tax partner, Khaitan & Co, said, "While this exemption by CBDT is certainly positive, it would have been better if PAN-Aadhaar was not required to be furnished, at least up to ₹5 lakh. Also, why confine this relaxation only to two months (April-May) and not for, say, six months?""Relaxation for hospitals / other facilities providing Covid treatment to take a payment in cash exceeding ₹2 lakh during the months of April and May 2021 is a welcome step. However, the condition of providing PAN/Aadhaar of the patient/payee should have been avoided," said Vivek Sharma, a Delhi-based lawyer.

"A senseless circular in the most sensitive times. Now, expect people to go on a wild goose chase to procure PAN, Aadhaar and source documents for all cash loans taken from many Good Samaritans for treating their near and dear ones," said Srinivas Kotni, managing partner, Lexport, a tax firm.

Section 269SS and 271D of I-T the Act (deals with cash payments and penalty) was introduced by the government in 2017, post note ban, to discourage black money generation.

However, before this, there was already an existing provision for restricting cash payments above ₹20,000 for business purposes.

THE DEBATE

Pros

- It will make hospital more accountable and transparent in case of cash receipt
- People can help with cash payment by providing PAN/Aadhaar

Cons

- The period of exemption is too short keeping in mind the gravity of pandemic
- Caveats of furnishing identity may create confusion among those who are willing to help
- Payer is allowed to pay but will have to explain the source of income later if it doesn't match with his/her returned income
- It will discourage crowd-funding, foreign donation out of fear of being scrutinised
- It's challenging to furnish details, if contribution coming from multiple people

DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act.) read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd.(IIFL HFL) (Formerly known as India India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s), amount due as on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under:-

Name of the Borrower(s). /Guarantor (s)	Demand Notice Date & Amount	Description of secured asset (immovable property)
Mr. Sandeep Kumar, Mrs. Sangeeta **(Prospect No. IL10025354)**	**04-May-2021 Rs. 15,42,427.00/-** (Rupees Fifteen Lakh Forty Two Thousand Four Hundred Twenty Seven Only)	All that piece and parcel of the property being : Flat No. 22, Ground Floor, measuring 33.29 sqm, Pocket-5, Block-B20, Sector-35, Rohini , Delhi, India, 110085
Mr. Parveen Kumar Sharma, Mr. Rameshwar Dayal Sharma, Mrs. Pushpa Sharma **(Prospect No. 041936)**	**05-May-2021 Rs. 5,77,239/-** (Rupees Five Lakh Seventy Seven Thousand Two Hundred Thirty Nine)	All that piece and parcel of the property being : A-107, admeasuring 83.61 sq. mtrs. , West Nathu Colony, Shahdara, Delhi, Pincode:-110032
Mr. Abhash Bhardwaj, Mrs.Anita Bharadwaj **(Prospect No. 784594 and 784196)**	**05-May-2021 For Prospect No. 784594 Rs. 27,90,530.00/-** (Rupees Twenty Seven Lakh Ninety Thousand Five Hundred Thirty Only) **and Prospect No. 784196 Rs. 1,37,053.00/-** (Rupees One Lakh Thirty Seven Thousand Fifty Three Only)	All that piece and parcel of the property being : Unit No-904,admeasuring 1235 sqft in 9th Floor, Block - G, Uninav Heights, Rajnagar Extension, Ghaziabad, U.P

If the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers.For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office : IIFL HFL Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom,Moti Nagar, New Delhi and Office No 1, First Floor, Mahaluxmi Metro Tower, Plot No. C -1,Sector - 4, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201010/or Corporate Office : IIFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana.

Place: Delhi and Ghaziabad Date: 10.05.2021 **Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd**

JAY BHARAT MARUTI LIMITED

Registered Office: 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110 019
CIN: L29130DL1987PLC027342
E-mail: jbml.investor@jbmgroup.com
Website: www.jbmgroup.com
Ph. 011-26427104; **Fax:** 011-26427100

JBM Group
Our milestones are touchstones

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the members of Jay Bharat Maruti Limited will be held on Monday, 31st May, 2021 at 04.00 P.M.(IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) pursuant to Section 100 and 108 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and in accordance with guidelines prescribed by with the General Circulars Nos. 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020 and 39/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020, June 15, 2020, September 28, 2020 and December 31, 2020 respectively ("MCA Circulars") and SEBI vide circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated May 12, 2020 and 15th January, 2021 respectively (collectively referred as "circulars") to transact the businesses that will be set out in the Notice of EGM. The Company has completed dispatch of Notice dated 29th April, 2021 ("Notice") along with explanatory statement and remote e-voting instructions seeking consent of the Members for the Issuance of Bonus Shares and Reappointment of Mr. Surendra Kumar Arya as Chairman and Managing Director, on Saturday, May 8, 2021 only through email to all those Members whose email address were registered with the Company as on 30th April, 2021, in accordance with MCA Circulars. Members are required to communicate their assent or dissent through remote e-voting system only provided by M/s KFIN Technologies Pvt. Ltd. ("KFIN")

The Notice of EGM will also be made available on Company's website at www.jbmgroup.com, websites of stock exchange at www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the website of KFIN Technologies Private limited at https://evoting.kfintech.com.

The remote e-voting portal shall commence on **Friday, 28th May, 2021 (09.00 a.m. IST) and end on Sunday 30th May, 2021 (05.00 p.m. IST) (both day inclusive)**. The remote e-voting module shall be disabled by KFIN for voting thereafter.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on Friday, 21st May, 2021 ("Cut off date"). A person who ceases to be a member as on cut off date will not be entitled to vote and should treat this notice for information purpose only. The instructions for joining the EGM and manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through e-voting system during the EGM is provided in the Notice to EGM. Members participating through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Shareholders, who have not registered / updated their email addresses are requested to comply with the following steps:

1. Shareholders holding shares in physical form, are requested to register/update their email addresses with the company or to the RTA.
2. Shareholders holding shares in dematerialized form, are requested to contact your DP and register/update their email addresses as per the process advised by your DP.

Ms. Sunita Mathur (FCS 1743) has been appointed as Scrutinizer for conducting the EGM through remote e-voting in a fair and transparent manner. The results along with Scrutinizer report shall be communicated to NSE and BSE where the shares of the company are listed and will also be uploaded on the website of the Company at www.jbmgroup.com

For any query members may refer FAQs and e-voting manual for shareholders available at the download section of https://evoting.kfintech.com or contact evoting@kfintech.com or at 1800 345 4001 or at 1800 309 4001 (toll free) for any further clarifications.

For and on behalf of
Jay Bharat Maruti Limited
Sd/-
(**Ravi Arora)**
Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
Date : 08.05.2021

Business Standard newspaper delivering safely to homes and offices

For details, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

Business Standard
Insight Out

bsindia bsindia business-standard.com

संक्षेप में

कच्चे माल की बढ़ती लागत पर महिंद्रा की नजर

घरेलू वाहन कंपनी महिंद्रा ऐंड महिंद्रा हाल में जिंसों खासकर स्टील के दाम में तेजी पर नजर रख रही है। कंपनी अपने कारोबार के हितों की रक्षा के लिए कोई कदम उठाने से पहले यह देखेगी कि चीजें कहां जाकर रूकती है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह कहा। पिछले कुछ दिनों में इस्पात बनाने वाली घरेलू कंपनियों ने हॉट रोल्ड कॉइल (एचआरसी) और कोल्ड रोल्ड कॉइल (सीएआरसी) के दाम क्रमश: 4,000 रुपये और 4,500 रुपये प्रति टन की वृद्धि की है। एचआरसी और सीआरसी फ्लैट इस्पात हैं, जिसका उपयोग वाहन, उपकरणों और निर्माण क्षेत्रों में होता है। कीमत में वृद्धि के बाद एचआरसी की लगत 67,000 टन जबकि सीआरसी की 80,000 टन बैठेगी। *भाषा*

फिनकेयर एसएफबी ने जमा कराए आईपीओ दस्तावेज

डिजिटल ऋणदाता फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए 1,330 करोड़ रुपये जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास आवेदन किया है। इस संबंध में जमा किए गए विवरणिका मसौदे के अनुसार सार्वजनिक पेशकश के जरिए 330 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि प्रवर्तक फिनकेयर बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड द्वारा 1,000 करोड़ रुपये के शेयर बेचे जाएंगे। पेशकश में कर्मचारियों के लिए शेयर आरक्षित हैं। *भाषा*

फैबिफ्लू अप्रैल में पहले पायदान पर

खाने वाली इस एंटीवायरल दवा की बिक्री अप्रैल में बढ़कर 352 करोड़ रुपये हो गई

सोहिनी दास
मुंबई, 9 मई

- फरवरी में फैबिफ्लू की महज 11 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी
- घरेलू औषधि बाजार की कुल 15,662 करोड़ रुपये की बिक्री में इस एकमात्र दवा का योगदान 2 फीसदी से अधिक
- महीने के दौरान सबसे अधिक बिकने वाली दवाओं की सूची में दूसरे पायदान पर रहने वाली एंटीबायोटिक दवा मोनोसेफ की बिक्री 112.9 करोड़ रुपये रही
- महीने के दौरान तीसरे पायदान पर रहने वाली दवा जिंकोविट की बिक्री 94.8 करोड़ रुपये की हुई

प्रमुख औषधि कंपनी ग्लेनमार्क की खाने वाली एंटीवायरल दवा फैबिफ्लू घरेलू औषधि बाजार में बिक्री के मोर्चे पर अप्रैल में शीर्ष पायदान पर पहुंच गई जो फरवरी में 169वें पायदान पर रही थी। महीने के दौरान इसकी बिक्री जबरदस्त उछाल के साथ 352 करोड़ रुपये तक पहुंच गई जबकि फरवरी में इसकी महज 11 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी। घरेलू औषधि बाजार की कुल 15,662 करोड़ रुपये की बिक्री में इस एकमात्र दवा का योगदान 2 फीसदी से अधिक दर्ज की गई।

बाजार अनुसंधान फर्म एआईओसीडी आवाक्स के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में फैबिफ्लू की बिक्री 351.9 करोड़ रुपये की हुई जो मार्च की बिक्री के मुकाबले सात गुना अधिक है। महीने के दौरान सबसे अधिक बिकने वाली दवाओं की सूची में दूसरे पायदान पर रहने वाली एंटीबायोटिक दवा मोनोसेफ की बिक्री 112.9 करोड़ रुपये रही जबकि तीसरे पायदान पर रहने वाली दवा जिंकोविट की बिक्री 94.8 करोड़ रुपये की हुई। महीने के दौरान देश में कोविड-19 के मामलों में जबरदस्त तेजी के मद्देनजर फैबिफ्लू की बिक्री में उछाल आया। 30 अप्रैल को कोरोनावायरस से संक्रमित मरीजों की दैनिक संख्या 4,01,993 तक पहुंच गई। फैबिफ्लू एक खाने वाली एंटीवायरल दवा है जिसका उपयोग होम क्वारंटीन में रहने वाले हल्के से मध्यम संक्रमण वाले रोगियों के उपचार में किया जाता है।

जनवरी में फैबिफ्लू की बिक्री 12.4 करोड़ रुपये की हुई थी जो फरवरी में घटकर 11.6 करोड़ रुपये रह गई थी। ऐसा तब हुआ था जब कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की दैनिक संख्या महज कुछ हजार तक सीमित थी।

फैबिफ्लू ने मधुमेहरोधी दवा ग्लाइकोमेट को पछाड़कर बिक्री के मोर्चे पर शीर्ष पायदान पर पहुंच गई। ग्लाइकोमेट फरवरी और मार्च दोनों महीनों के दौरान दूसरे पायदान पर रही थी। जनवरी में ग्लाइकोमेट आईपीएम में शीर्ष पायदान पर रही थी। इस मधुमेहरोधी दवा की बिक्री जनवरी में 74.8 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर अप्रैल में 82.6 करोड़ रुपये हो गई। लेकिन अप्रैल उसकी रैंकिंग फिसलकर चौथे पायदान पर आ गई।

क्रॉनिक थेरेपी वाली दवाएं मसलन मधुमेह रोधी, रक्तचाप के इलाज वाली दवा, भारतीय दवा बाजार में पांच अग्रणी दवा ब्रांड में शामिल है। ग्लेनमार्क के प्रबंध निदेशक व सीईओ ग्लेन सल्ढाना ने कहा, कोविड-19 के हल्के लक्षण वाले लोगों के इलाज के लिए हम भारत में फेबीफ्लू पेश करने वाली पहली कंपनी रहे हैं और देश भर में यह मरीजों के पहुंच के दायरे में है। हम अपने मुख्य इलाज वाले क्षेत्र में अन्य अच्छे विकल्प की खातिर नवोन्मेष जारी रखेंगे।

कोविड के इलाज या प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने की खातिर जिन दवाओं का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं उशकी बिक्री में उछाल आई है और इस वजह से आईपीएम की रैंकिंग भी बदली है। उदाहरण के लिए, विटामिन सी ब्रांड लिम्सी जनवरी के 433 रैंक (बिक्री 5.9 करोड़ रुपये) से उछलकर अप्रैल (बिक्री 50.3 करोड़ रुपये) में 16वीं रैक पर पहुंच गई। पारासिटामोल ब्रांड डोलो और कालपोल भी आईपीएम के 20 अग्रणी ब्रांडों में शामिल है।

देसी दवा बाजार में अप्रैल में सुधार दिखा है और पिछले साल के मुकाबले बिकर्री 51.5 फीसदी बढ़ी है, जिसकी वजह पिछले साल अप्रैल (2020) का निचला आधार है। साथ ही कोविड-19 दवाओं की मांग में तेजी से भी बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर अप्रैल 2019 की बिक्री से इसकी तुलना करें तो यह बढ़ोतरी करीब 37 फीसदी बैठती है।

उत्पाद व लागत में अंतर की तेजी जारी रहेगी

इस्पात कीमतों में आई तेजी से लाभान्वित होने वाली कंपनियों में टाटा स्टील भी शामिल है। कंपनी अपना ऋण बोझ घटाने को प्राथमिकता दे रही है और वित्त वर्ष 2021 में उसने अपने शुद्ध ऋण बोझ को 29,309 करोड़ रुपये हल्का किया है। टाटा स्टील के कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी **कौशिक चटर्जी** ने **ईशिता आयान दत्त** से बातचीत में कहा कि एंटरप्राइज रणनीति के तौर पर बहीखाते को मजबूती देना जारी रहेगी और ऋण बोझ में 1 अरब डॉलर की कमी न्यूनतम मानक है न कि अधिकतम क्षमता। पेश हैं मुख्य अंश:

क्या इस्पात और कच्चे माल की लागत में मौजूदा अंतर दुनिया में अब तक का बेहतरीन है? क्या अभी यह रुझान जारी रहेगा?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह अंतर निश्चित तौर अपनी ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। लेकिन इसे इस परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है कि यह महज चक्रीय प्रभाव नहीं है। पिछली कुछ तिमाहियों से उद्योग में हम कुछ ढांचागत रुझानों को देख रहे हैं। उनमें एक बुनियादी रुझान है आपूर्ति की किल्लत क्योंकि विशेष रूप से चीन में पर्यावरण संबंधी नीतियों और उत्सर्जन मानकों के कारण उत्पादन क्षमता को युक्तिसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ऐसा न केवल चीन में बल्कि जापान और यूरोपीय संघ में भी देखा जा रहा है। इससे आपूर्ति किल्लत की समस्या पैदा हो गई है। इसे चक्रीय घटना के बजाय कहीं अधिक ढांचागत रुझान बनने के आसार हैं क्योंकि चीन की जो क्षमताएं बंद हो रही हैं उसके सुचारु होने की संभावना नहीं है। पिछली कुछ तिमाहियों के दौरान वैश्विक स्तर पर मांग में जबरदस्त तेजी के बीच उत्पाद एवं कच्चे माल की लागत में अंतर काफी बढ़ गया और निकट भविष्य में यह अपने ऐतिहासिक औसत से ऊपर बरकरार रहेगा।

अगली दो तिमाहियों के लिए परिदृश्य कैसा दिख रहा है?

वैश्विक इस्पात उद्योग की मांग में जबरदस्त तेजी दिख रही है और इस्पात की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भी उसकी झलक मिल रही है। कोविड से संबंधित कोई अप्रत्याशित व्यवधान न हो तो आगामी तिमाहियों में हम बेहतर प्रदर्शन के रुझान को जारी रखेंगे।

यूरोपीय बाजार काफी दमदार है और चौथी तिमाही में टाटा स्टील यूरोप का एबिटा भी सकारात्मक रहा है। आगे का परिदृश्य कैसा दिख रहा है?

पिछली तिमाही के दौरान इस्पात और कच्चे माल की लागत में अंतर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आगामी तिमाहियों के दौरान टाटा स्टील यूरोप के कारोबार में भी उसे महसूस किया जा सकता है। नीदरलैंड और ब्रिटेन को अलग करने से भी हमें ढांचागत तौर पर लागत कम करने में मदद मिलेगी। इससे लाभप्रदता और नकदी प्रवाह के लिए स्थानीय प्रबंधन की जबावदेही बढ़ेगी।

आपने दक्षिण पूर्व एशियाई (एसईए) कारोबार को बेचने की योजना बनाई थी। क्या अब भी आप यूरोपीय कारोबार को बेचना चाहते हैं?

फिलहाल दक्षिण पूर्व एशियाई अथव यूरोपीय कारोबार के लिए कोई ढांचागत प्रक्रिया नहीं चल रही है। अभी हम यूरोप और दक्षिण पूर्व एशियाई दोनों कारोबार के प्रदर्शन में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

चालू वर्ष के लिए महज 1 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। ऐसा क्यों?

मैं दोहराना चाहूंगा कि ऋण बोझ घटाने की हमारी नीति कम से कम 1 अरब डॉलर यानी 7,500 करोड़ रुपये सालाना की है। मैं यह भी उजागर करना चाहूंगा कि एक एंटरप्राइज रणनीति के तौर पर बहीखाते को मजबूती देना जारी रहेगा। इसलिए, आपके सवाल का उत्तर यह है कि ऋण बोझ में 1 अरब डॉलर की कमी न्यूनतम मानक है न कि अधिकतम क्षमता।

चुनौतियों से जूझ रहीं वाहन कलपुर्जा कंपनियां

शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 9 मई

भारत में वाहन कलपुर्जा निर्माता मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कोविड-19 के कारण कामगारों की काफी ज्यादा अनुपस्थिति, अहम पुर्जों की किल्लत और वाहन निर्माताओं की तरफ से अपने संयंत्रों को अस्थायी तौर पर बंद किए जाने से 3.2 लाख करोड़ वाले इस क्षेत्र भारी चोट पड़ी है। ये फर्में अपने राजस्व का करीब 60 फीसदी हिस्सा मूल उपकरण विनिर्माताओं से हासिल करती हैं जबकि बाकी रीप्लेसमेंट डिमांड और निर्यात में सामान रूप से बंटा हुआ है।

शनिवार को कार निर्माता कंपनी मारुति सुजूकी इंडिया ने कहा कि वह रखरखाव के लिए संयंत्रों को 16 मई तक बंद रखेगी, जो पहले नौ तारीख तक बंद होना था। कंपनी ने एक्सचेंजों को दी सूचना में कहा, मौजूदा महामारी की स्थिति को देखते हुए संयंत्रों में कुछ काम जारी र हेगा। सुजूकी मोटर गुजरात ने भी ऐसा ही फैसला लिया है। मारुति व अन्य वाहन निर्माताओं मसलन महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, टोयोटा किर्लोस्कर, होंडा मोटरसाइकल ऐंड स्कूटर इंडिया, फोर्ड इंडिया, बीएमडब्ल्यू इंडिया आदि ने महामारी के कारण संयंत्र कुछ समय तक बंद रखने का फैसला लिया है।

वाहन कलपुर्जा निर्माताओं की उत्पादन की योजना विनिर्माताओं के साथ नजदीकी से जुड़ी है और आंशिक बंद से उनपर प्रतिकूल असर पड़ेगा, यह कहना है वाहन कलपुर्जा निर्माताओं के संगठन के अध्यक्ष दीपक जैन का। उन्होंने कहा, मौजूदा परिस्थितियों में उत्पादन काफी मुश्किल हो गया है। वाहन फर्मों - आपूर्ति करने वाले व ओईएम के पास इस वास्तविकता के मुताबिक अपनी योजना फिर से बनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बीमार होने के कारण ज्यादा अनुपस्थिति, कामगारों का लौटना और कलपुर्जों की किल्लत ने उत्पादन में अवरोध पैदा किया है। अभी इस पर कोई स्पष्टता नहीं है कि आगे क्या होगा। अभी सहायकों की सुरक्षा और जीवन बचाना प्राथमिकता में सबसे ऊपर है।

अन्य भी ऐसी ही बात कह रहे हैं। बेंगलूरु की सनसेरा इंजीनियरिंग के संयुक्त प्रबंध निदेशक ए आर सिंघवी ने कहा, आपूर्ति, कामगार की स्थिति ठीक नहीं है, यानी हर चीज प्रभावित हुई है। हमारे उत्पादन की क्षमता पर भी असर पड़ा है। देसी बाजार पर पड़े असर को देखते हुए कंपनी निर्यात पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसका योगदान कंपनी के राजस्व में अभी एक तिहाई है।

क्रिसिल रिसर्च ने 26 मार्च की रिपोर्ट में कहा था कि ओईएम की मांग वाहन कलपुर्जा क्षेत्र को सहारा देगा, जो वित्त वर्ष 22 में 21 से 23 फीसदी राजस्व बढ़ोतरी देख सकता है जबकि 2020 व 2021 में उसने क्रमशः 13 फीसदी व 8 फीसदी की नकारात्मक वृद्धि देखी थी। लॉकडाउन और लोगों व वाहन ढुलाई पर लगी पाबंदी के कारण रीप्लेसमेंट मांग पर जो असर पड़ा था, वह भी धीरे-धीरे सुधर जाएगा।

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
निगमित पहचान संख्या (CIN): U74899DL1951NPL001947
पंजीकृत कार्यालय: पीएचडी हाउस 4/2 सर इंटरनेशनल एरिया अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016
Telephone No.: 011-49545454 • Website: www.phdcci.in • Email ID: vivek.seigell@phdcci.in

असामान्य साधारण बैठक और ई-वोटिंग व रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (''चैम्बर्स'') की असामान्य साधारण बैठक (ईजीएम) ईजीएम (''सूचना'') की सूचना में वर्णित अनुसार व्यापार को लेन-देन करने के लिए निगमित मामलों के मंत्रालय (''एमसीए'') परिपत्र दिनांक **8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2020 और 13 जनवरी, 2021** (समग्र रूप से ''एमसीए परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुपालन में वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (''ओएवीएम'') के माध्यम से **सोमवार, 24 मई, 2021 को सुबह 11.00 बजे** (भारतीय मानक समय) पर आयोजित की जाएगी। कंपनीज (प्रबंधन व प्रशासनिक) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुपालन में, चैंबर ने ईजीएम के लिए ई-वोटिंग/रिमोट ई-वोटिंग ('ई-वोटिंग') सुविधा के सहित वीसी/ओवीएएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होने की सुविधा देने के लिए सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) को नियुक्त किया है।

सूचना का इलैक्ट्रानिक प्रेषण कंपनी के साथ पंजीकृत ई-मेल पते पर चैंबर के सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा किया जा चुका है। सूचना का प्रेषण **शनिवार, 8 मई, 2021** को पूरा कर लिया गया है। ईजीएम की सूचना चैंबर की वेबसाइट ूण्चीकबबपण्पद और सीडीएसएल की वेबसाइट ूण्मअवजपदहण्बकेसण्पद पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत **बुधवार, 19 मई, 2021 (9.00 बजे भामास)** पर होगी और **रविवार, 23 मई, 2021 (5.00 बजे भामास)** पर समाप्त होगी। ईजीएम में या इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा वोट करने के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि **सोमवार, 17 मई, 2021** है। सदस्य जिनके नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में प्रदर्शित हैं, केवल वही ईजीएम में रिमोट ई-वोटिंग सुविधा/वोटिंग प्राप्त करने के हकदार होंगे। चैंबर, गारंटी द्वारा मौजूदा एक कंपनी लिमिटेड, के पास कोई शेयर पूंजी नहीं है, इसलिए कंपनी के हर सदस्य को एक वोट होगा। उपरोक्त तिथि व समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-वोटिंग के लिए निर्देश सूचना में दिए गए हैं जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सूचना के प्रेषण के बाद चैंबर की सदस्य बनने वाला या कट-ऑफ तिथि अर्थात **17 मई, 2021** तक सदस्यों के रजिस्टर में अपना नाम प्रदर्शित करने वाला कोई भी व्यक्ति **evoting@cdsl.in** पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा वोटिंग की सुविधा ईजीएम पर भी उपलब्ध होगी। वीसी/ओएवीएम द्वारा ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्य और पहले ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट डालने वाले और अन्यथा ऐसा करने से बाधित नहीं हैं, ईजीएम के दौरान वोट करने के पात्र होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने वाले सदस्य ईजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि वे ईजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे। सदस्य वोट के लिए रिमोट ई-वोटिंग या ईजीएम में ई-वोटिंग के एक ही प्रकार को अपना सकते हैं। दोनों तरीकों से वोट करने के मामले में, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोट अंतिम माने जाएंगे और एजीएम में ई-वोटिंग पर विचार नहीं किया जाएगा।

चैंबर ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अधिनियम व नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया आयोजित करने के लिए जांचकर्ता के रूप में डॉ. एस. चंद्रशेखरन (सीपी : 715), वरिष्ठ पार्टनर, मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स और उनके असफल होने पर, श्री रूपेश कुमार अग्रवाल (सीपी : 5673), प्रबंधक पार्टनर, मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स को नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ या शिकायत के मामले में, श्री विवेक सहेगल, सहायक महा सचिव **vivek.seigell@phdcci.in/9811100187**, या सुश्री शिवानी गुप्ता, डिप्टी सचिव **shivani.gupta@phdcci.in/9810959998**, या सुश्री सोहले गुप्ता, कार्यकारी अधिकारी **sohale.gupta@phdcci.in/8285273406** से पीएचडी हाउस 4/2 सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग नई दिल्ली 110016 पर संपर्क करें। इसके अतिरिक्त सदस्य ई-वोटिंग से संबंधित सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूज) **www.evotingindia.com** के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं।

ई-मेल पते रजिस्टर/अपडेट करने का तरीका : जिन सदस्यों के ई-मेल आईडी चैंबर के साथ रजिस्टर/अपडेट नहीं हैं, वे सदस्य श्री सौरभ सन्याल, महा सचिव, पीएचडीसीसीआई **sg@phdcci.in**, श्री विवेक सहेगल, सहायक महा सचिव, पीएचडीसीसीआई **vivek.seigell@phdcci.in** और **managingcommittee@phdcci.in** को ई-मेल भेजकर चैंबर के साथ अपने ई-मेल पते और मोबाइल नंबर रजिस्टर करने/अपडेट करने का अनुरोध कर सकते हैं।

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से व उन्हीं के लिए
हस्ता./-
सौरभ सन्याल
महा सचिव

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 10 मई 2021

बिज़नेस स्टैंडर्ड
दिल्ली संस्करण

बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस (प्रा.) लिमिटेड, ए-8, सेक्टर-7, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301, उ. प्र. से मुद्रित एवं नेहरु हाउस, 4 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित
संपादकः कैलाश नौटियाल

आरएनआई न० WBHIN/2008/24333
पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं1
टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स- 033-22101599
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए कृपया संपर्क करें..
सुश्री मानसी सिंह
हेड कस्टमर रिलेशन्स
बिज़नेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013
ई मेल.. subs_bs@bsmail.in
या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS

डिसक्लेमर.. बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉर्पोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है1 बिज़नेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिज़नेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए।
मै0 बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा0 लि0 का सर्वाधिकार सुरक्षित है। बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा0 लि0 से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस तरह का निषिद्ध एवं अनधिकृत कार्य करने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरु की जाएगी।

कोई हवाई अधिभार नहीं

JAY BHARAT MARUTI LIMITED
Registered Office: 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110 019
CIN: L29130DL1987PLC027342
E-mail: jbml.investor@jbmgroup.com
Website: www.jbmgroup.com
Ph. 011-26427104; **Fax:** 011-26427100
JBM Group — Our milestones are touchstones

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the members of Jay Bharat Maruti Limited will be held on Monday, 31st May, 2021 at 04.00 P.M.(IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) pursuant to Section 100 and 108 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and in accordance with guidelines prescribed by with the General Circulars Nos. 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020 and 39/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020, June 15, 2020, September 28, 2020 and December 31, 2020 respectively ("MCA Circulars") and SEBI vide circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated May 12, 2020 and 15th January, 2021 respectively (collectively referred as "circulars") to transact the businesses that will be set out in the Notice of EGM. The Company has completed dispatch of Notice dated 29th April, 2021 ("Notice") along with explanatory statement and remote e-voting instructions seeking consent of the Members for the Issuance of Bonus Shares and Reappointment of Mr. Surendra Kumar Arya as Chairman and Managing Director, on Saturday, May 8, 2021 only through email to all those Members whose email address were registered with the Company as on 30th April, 2021, in accordance with MCA Circulars. Members are required to communicate their assent or dissent through remote e-voting system only provided by M/s KFIN Technologies Pvt. Ltd. ("KFIN")

The Notice of EGM will also be made available on Company's website at www.jbmgroup.com, websites of stock exchange at www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the website of KFIN Technologies Private limited at https://evoting.kfintech.com.

The remote e-voting portal shall commence on **Friday, 28th May, 2021 (09.00 a.m. IST) and end on Sunday 30th May, 2021 (05.00 p.m. IST) (both day inclusive)**. The remote e-voting module shall be disabled by KFIN for voting thereafter.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on Friday, 21st May, 2021 ("Cut off date"). A person who ceases to be a member as on cut off date will not be entitled to vote and should treat this notice for information purpose only. The instructions for joining the EGM and manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through e-voting system during the EGM is provided in the Notice to EGM. Members participating through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Shareholders, who have not registered / updated their email addresses are requested to comply with the following steps:

1. Shareholders holding shares in physical form, are requested to register/update their email addresses with the company or to the RTA.
2. Shareholders holding shares in dematerialized form, are requested to contact your DP and register/update their email addresses as per the process advised by your DP.

Ms. Sunita Mathur (FCS 1743) has been appointed as Scrutinizer for conducting the EGM through remote e-voting in a fair and transparent manner. The results along with Scrutinizer report shall be communicated to NSE and BSE where the shares of the company are listed and will also be uploaded on the website of the Company at www.jbmgroup.com

For any query members may refer FAQs and e-voting manual for shareholders available at the download section of https://evoting.kfintech.com or contact evoting@kfintech.com or at 1800 345 4001 or at 1800 309 4001 (toll free) for any further clarifications.

For and on behalf of
Jay Bharat Maruti Limited
Sd/-
(Ravi Arora)
Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
Date : 08.05.2021

INDAG®

इंडैग रबर लिमिटेड

सीआईएन : एल74899डीएल1978पीएलसी009038
पंजी. कार्यालय : 11, कम्युनिटी सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017
ई-मेल : info@indagrubber.com; वेबसाइटः www.indagrubber.com; फोनः 011-26963172-73

31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

(रू. लाख में)

क्र. स.	विवरण	पृथक्कृत				समेकित			
		वास्ते तिमाही समाप्त (31.03.2021) (लेखापरीक्षित)	वास्ते वर्ष समाप्त (31.03.2021) (लेखापरीक्षित)	वास्ते वर्ष समाप्त (31.03.2020) (लेखापरीक्षित)	वास्ते तिमाही समाप्त (31.03.2020) (लेखापरीक्षित)	वास्ते तिमाही समाप्त (31.03.2021) (लेखापरीक्षित)	वास्ते वर्ष समाप्त (31.03.2021) (लेखापरीक्षित)	वास्ते वर्ष समाप्त (31.03.2020) (लेखापरीक्षित)	वास्ते तिमाही समाप्त (31.03.2020) (लेखापरीक्षित)
1	संचालन से कुल आय	4,590.75	17,388.25	19,135.00	3,677.79	4,590.75	17,388.38	19,135.25	3677.79
2	शुद्ध लाभ, कर और असाधारण वस्तुओं से पूर्व (बंद किए गए कार्यों सहित)	219.31	1,676.61	1,671.65	216.37	230.93	1,692.99	1,725.89	253.08
3	शुद्ध लाभ, असाधारण वस्तुओं से बाद और कर से पूर्व	219.31	352.59	1,671.65	216.37	230.93	368.97	1,725.89	253.08
4	शुद्ध लाभ, कर पश्चात	161.71	276.06	1,328.10	184.48	169.07	281.52	1,372.05	214.71
5	कुल व्यापक आय [जिसमें लाभ (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल है]	495.84	1,305.05	859.68	(303.83)	503.20	1,310.51	903.63	(273.60)
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू. 2/- प्रति शेयर)	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00
7	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित बैलेंस शीट में दिखाया गया है		19,193.89	18,125.96			19,245.85	18,200.36	
8	प्रति शेयर अर्जन (रू. 2/- प्रत्येक का) (वार्षिककृत नहीं) (निरंतर और बंद संचालन के लिए) – मूल (रू. में)	0.62	1.05	5.06	0.70	0.61	0.97	5.13	0.75
	– तनुकृत (रू. में)	0.62	1.05	5.06	0.70	0.61	0.97	5.13	0.75

नोट्स :-

1. उपरोक्त लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा 8 मई, 2021 को की गई थी, जो निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए थे तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी लेखापरीक्षा की गई है।
2. यह वित्तीय परिणाम कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 133 में निर्दिष्ट, कम्पनीज (इडियन एकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित, निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतो (संशोधत) के अनुसार तैयार किए गए हैं।
3. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज में प्रस्तुत किए गए 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही और वार्षिक पृथक्कृत एवं समेकित वित्तीय परिणामों के प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष पृथक्कृत एव समेकित वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.indagrubber.com पर उपलब्ध है।
4. समूह ने पहले के वर्षों के प्रवेश कर मामले के निपटारे के लिए 21 जनवरी, 2021 को हिमाचल प्रदेश (लिगेसी केसेस रेगुलेशन) स्कीम, 2019 का विकल्प चुना है जो हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय लंबित था। तदनासार, 1,244.68 लाख रूपये की राशि जिसे 30 सितंबर, 2020 को समाप्त छमाही तक आकस्मिक देयता माना गया था और 79.34 लाख रूपये का निपटान शुल्क को खर्च की तरह बुक किया गया है और कुल 1324.02 लाख रूपये को 31 मार्च, 2021 के वर्ष के पृथक्कृत एव समेकित वित्तीय परिणामों में असाधारण आइटम के रूप में लिया गया है।
5. 16 अक्टूबर, 2020 को नॉन मैटेरियल सब्सिडियरी कंपनी, सन एम्प सोलर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (सन एम्प) और स्टेप डाउन सब्सिडियरी समयामा ज्योति सोलर एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड (समयामा ज्योति) ने शेयर खरीद समझौते (एसपीए) पर स्वतंत्र खरीदार के साथ समयामा ज्योति के इक्विटी शेयरों में सन एम्प के निवेश की बिक्री के लिए हस्ताक्षर किए हैं। एसपीए के अनुसार, बंद करने से पहले कुछ शर्ते हैं, जो कि सब्सिडियरी कंपनी द्वारा क्रेता की संतुष्टि के लिए पूरी की जानी चाहिए, क्रेता लगभग 1,012,000 डॉलर (USD) तथा रू 7.44 करोड़ के बराबर की बिक्री के प्रक्रिया को चालु करेगा, जो कि पूर्ण बिक्रय मूल्य हैं, और उपरोक्त लेन-देन को सन एम्प द्वारा क्रेता को समयामा ज्योति के 100% इक्विटी शेयरों के पूर्ण हस्तांतरण के बाद सम्पूर्ण माना जाएगा। इसलिए समयामा ज्योति को इंड एएस-105 के नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकन्टिनियुड ऑपरेशंस के लिए रखा गया था, के अनुसार समेकित किया गया है।

वास्ते इंडैग रबर लिमिटेड
हस्ता/-
(पूर्णकालिक निदेशक)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : मई 8, 2021